

**पटना में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**  
**2014 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 13539**

=====

1. मुकेश कुमार पंडित, पुत्र-श्री सोने लाल पंडित, निवासी, ग्राम-धरमपुर दखिली, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर।
2. कौशिल्या देवी, पत्नी-श्री राम बृक्ष साह, निवासी, ग्राम-धरमपुर असली, थाना-ताजपुर, जिला-समस्तीपुर।
3. श्रीमती लीला देवी, पत्नी-श्री महेश्वर राय, निवासी, ग्राम-सैदपुर मिल्की, थाना-पटोरी, जिला-समस्तीपुर।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर।
3. जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर- सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, समस्तीपुर।
4. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, समस्तीपुर।
5. कार्यपालक अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना, समस्तीपुर।
6. सहायक अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना, समस्तीपुर।
7. कनीय अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना, समस्तीपुर।
8. तकनीकी पर्यवेक्षक, बिहार शिक्षा परियोजना, समस्तीपुर।

. ... प्रतिवादी/ओं

=====

**उपस्थिति :**

याचिकाकर्ताओं के लिए : सुश्री महाश्वेता चटर्जी

राज्य के लिए : श्री विवेक प्रसाद, जीपी 18

बी.ई.पी.सी. के लिए : श्री गिरिजेश कुमार

=====

भारत का संविधान --- अनुच्छेद 226 --- प्रतिवादी अधिकारियों के निर्णय को चुनौती देने के लिए रिट याचिका जिसके तहत प्रत्येक याचिकाकर्ता को विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपनी जेब से 3,86,563 रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था, इस आधार पर कि स्कूल परिसर में उनके द्वारा निर्मित स्कूल भवन की पाइलिंग की गहराई 11 फीट 6 इंच के बजाय केवल 4 फीट थी --- याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क कि वे तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं और उन्हें तकनीकी कर्तव्य नहीं सौंपे गए थे, ऐसे में उन्हें निर्माण कार्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है --- आगे तर्क यह है कि माप पुस्तिका पर तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे और जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया था कि पाइलिंग की गहराई 11 फीट 6 इंच थी।

निष्कर्ष: निर्माण समझौते की शर्तों के अनुसार, विनिर्देश और ड्राइंग के अनुसार नियमित आधार पर निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करने का दायित्व याचिकाकर्ताओं पर डाला गया था। याचिकाकर्ता अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जैसा कि समझौते द्वारा उन पर डाला गया था और वे विद्यालय शिक्षा समिति के प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष और सचिव होने के नाते याचिकाकर्ताओं और अन्य पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन निर्माण की लागत की वसूली के लिए प्रतिवादियों द्वारा नरम निर्णय लिया गया है। विवादित आदेश में कोई कमी नहीं है। रिट खारिज की जाती है। (पैरा 1, 6, 8-10)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

निर्णय और आदेश

सी.ए.वी.

दिनांक : 25-07-2024

प्रासंगिक समय पर, याचिकाकर्ता संख्या 1 समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सैदपुर मिल्की के प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित थे तथा याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 विद्यालय शिक्षा समिति के क्रमशः अध्यक्ष और सचिव थे। उन्होंने यह रिट आवेदन पत्र दायर कर पत्र संख्या 739, दिनांक 28.06.2014 को चुनौती दी है, जिसके तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर

ने प्रत्येक याचिकाकर्ता को विद्यालय शिक्षा समिति के खाते में पंद्रह दिनों के अंदर अपनी जेब से 3,86,563/- रुपये जमा करने का निर्देश इस आधार पर दिया था कि विद्यालय परिसर में उनके द्वारा निर्मित विद्यालय भवन की पाइलिंग गहराई 11 फीट 6 इंच के बजाय मात्र 4 फीट थी।

2. वर्तमान रिट आवेदन में प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं ने 14.07.2012 को जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें स्कूल परिसर में छह अतिरिक्त कक्षाएँ के निर्माण के लिए निधि की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं के प्रस्ताव के जवाब में निर्माण के लिए निधि स्वीकृत की गई और याचिकाकर्ताओं और राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बीच एक समझौता किया गया। सुनील कुमार वर्मा, तकनीकी पर्यवेक्षक (प्रतिवादी संख्या 8) को निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण का कर्तव्य सौंपा गया था।

3. दिनांक 15.06.2013 को सहायक अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, समस्तीपुर ने याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि विद्यालय परिसर में निर्माणाधीन कार्य की जांच कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक 13.06.2013 एवं 14.06.2013 को की गई, जिसमें पाया गया कि निर्माणाधीन भवन की पाइलिंग की गहराई विनिर्देश के अनुसार नहीं है तथा पाइलिंग की गहराई 11 फीट 6 इंच के स्थान पर मात्र 4 फीट पाई गई। 4 फीट की पाइलिंग कार्य के विनिर्देश एवं प्राक्कलन के अनुसार नहीं थी। जांच अधिकारी ने पाया कि इमारत का उपयोग करना सुरक्षित नहीं है और यह कभी भी गिर सकती है, इसलिए इमारत को गिराने और जिम्मेदार व्यक्तियों से लागत वसूलने की सलाह दी गई।

4. जांच के आधार पर तकनीकी पर्यवेक्षक सहित तीनों याचिकाकर्ताओं को पत्र संख्या 5427 दिनांक 08.08.2013 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस भेजा गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वे अपने खर्च पर निर्माण में हुई त्रुटि को ठीक कर लेंगे। इसलिए प्रतिवादी जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर द्वारा दिनांक 28.06.2014 को आक्षेपित आदेश जारी किया गया।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि समझौते की शर्तों से यह स्पष्ट है कि विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा प्रथम पक्ष अर्थात् बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को जूनियर इंजीनियर और तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाणित माप पुस्तिका के आधार पर अधियाचना भेजे जाने के बाद ही निधि जारी की जानी थी और निदेशक को उचित सत्यापन के बाद इसके वितरण के लिए निधि जारी करनी थी। माप पुस्तिका जिला परियोजना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी और माप पुस्तिका के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो गया कि पाइलिंग की माप 11 फीट 6 इंच बताई गई है, जो तकनीकी पर्यवेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित है और 15.03.2013 को जूनियर इंजीनियर द्वारा प्रमाणित

है। दिलचस्प बात यह है कि पत्र संख्या 883, दिनांक 15.06.2013 को उसी सहायक अभियंता द्वारा जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को पाइलिंग से संबंधित निर्माण में दोष/गलती के लिए तीन दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने स्वयं माप पुस्तिका में प्रमाणित किया था कि पाइलिंग की गहराई 11 फीट 6 इंच थी।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं और उन्हें तकनीकी कार्य नहीं सौंपे गए थे, ऐसे में उन्हें निर्माण कार्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। समझौते की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता केवल तकनीकी पर्यवेक्षक और इंजीनियरों की अनुशंसा के आधार पर फंड जारी करने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता केवल पोस्ट ऑफिस के रूप में काम कर रहे थे। इमारत को न तो ध्वस्त किया गया है और न ही परित्यक्त घोषित किया गया है; बल्कि भूतल पर कक्षाएं चल रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 133 भी 2013 से पहली मंजिल पर चल रहा है। चूंकि इमारत का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए सार्वजनिक निधि का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि माप पुस्तिका को प्रमाणित करने वाले सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एकरारनामा के खंड 7(च) के अनुसार, याचिकाकर्ताओं को कार्य की निगरानी और पर्यवेक्षण करना आवश्यक था। याचिकाकर्ताओं को एकरारनामा के खंड 7(छ) के अनुसार यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि कार्य विनिर्देश और ड्राइंग के अनुसार किया जा रहा है और इसके लिए तैयार किए गए प्राक्कलन के अनुसार भी। अमरनाथ राय और अन्य द्वारा की गई शिकायत पर, कार्यपालक अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना ने 18.06.2013 को जांच की और 20.06.2013 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। निर्माण कार्य में दोष/अनियमितताओं को देखते हुए, याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपने स्पष्टीकरण में दोष स्वीकार किया है और कहा है कि वह अपनी जेब से अनियमितता/दोष को ठीक करने के लिए तैयार है। इसके बाद पहचाने गए व्यक्तियों यानी याचिकाकर्ताओं और एक तकनीकी पर्यवेक्षक (प्रतिवादी संख्या 8) से समान अनुपात में निर्माण लागत वसूलने का निर्देश जारी किया गया है। संबंधित सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंताओं को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिन्होंने माप पुस्तिका प्रमाणित की थी। उन्होंने आगे कहा कि कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। निर्माण को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका है और अगर आंगनबाड़ी टीम द्वारा संबंधित भवन में कोई गतिविधि चल रही है, तो वह उनके अपने जोखिम और लागत पर की जा रही है।

8. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. याचिकाकर्ताओं और बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक ने स्कूल परिसर में छह अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण के लिए लिखित समझौता किया। समझौते की शर्तों के अनुसार, विनिर्देश और ड्राइंग के अनुसार नियमित आधार पर निर्माण कार्य की प्रगति की निगरानी करने का दायित्व याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया है। जांच करने पर पाया गया कि स्तंभ के ढेर की गहराई 11 फीट 6 इंच के बजाय केवल 4 फीट थी, जो विनिर्देश और अनुमान के अनुसार आवश्यक थी। प्रतिवादी अधिकारियों ने प्रक्रिया का पालन किया और निर्माण कार्य में दोष/अनियमितता के लिए याचिकाकर्ताओं से कारण बताओ पूछकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया। याचिकाकर्ताओं ने अपने जवाब में, अपने स्वयं के खर्च पर दोष/अनियमितता को ठीक करने के लिए स्वीकार किया है। नवनिर्मित कक्षाओं को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है तथा उनका उपयोग कक्षाओं के लिए नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिवादियों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि नवनिर्मित कक्षाओं में कक्षाएं संचालित नहीं की जा रही हैं। याचिकाकर्ता अपने दायित्व और कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जैसा कि समझौते के तहत उन पर डाला गया था और वे विद्यालय शिक्षा समिति के प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष और सचिव होने के नाते थे। जाहिर है, भवन निधि का आपस में मिलीभगत करके सुनियोजित तरीके से दुरुपयोग किया गया है।

10. आक्षेपित पत्र द्वारा, प्रतिवादी अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं को दोषपूर्ण निर्माण में खर्च की गई राशि को समान अनुपात में वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि एक बार इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, तो पूरे निर्माण को ध्वस्त करना होगा और क्लास रूम का निर्माण करना होगा नये सिरे से उचित विशिष्टता. याचिकाकर्ताओं और अन्य पर आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन निर्माण की लागत की वसूली के लिए उत्तरदाताओं द्वारा नरम निर्णय लिया गया है।

11. तदनुसार, मुझे दिनांक 28.06.2014 के विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं दिखती है और प्रतिवादियों को कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं और अन्य से प्रश्नगत राशि वसूलने की स्वतंत्रता दी जाती है।

12. मामले के तथ्य बहुत ही परेशान करने वाले हैं क्योंकि प्रधानाध्यापक और वे लोग, जो छात्रों की उचित शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, ने मिलीभगत करके कक्षाओं के निर्माण के लिए आई धनराशि का दुरुपयोग किया है।

13. इस न्यायालय ने पाया कि माप पुस्तिका सहायक अभियंता नीलोत्पल बिपिन और

कनिष्ठ अभियंता चितरंजन कुमार और प्रेम कुमार द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षरित की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि यदि पहले से कार्रवाई नहीं की गई है तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए।

14. परिणामस्वरूप, यह रिट याचिका, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, को खारिज किया जाता है।

15. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।